



वेबसाइट : <https://dicgc.org.in/hindi/>
Website: www.dicgc.org.in
ईमेल/email : dicgc@rbi.org.in

30 दिसंबर 2024

परिसमापकों द्वारा अप्राप्य/ अज्ञात चिह्नित जमाकर्ताओं के जमाकर्ता बीमा दावों को प्रस्तुत करना

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) परिसमापक द्वारा तैयार किए गए जमा बीमा दावों का निपटान डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 16 और 17 में निहित प्रावधानों के अनुसार करता है। परिसमापक द्वारा अज्ञात (वे जमाकर्ता जिन्हें मुख्य दावे की मंजूरी के समय केवाईसी दस्तावेजों की अनुपलब्धता के कारण भुगतान नहीं किया गया था)/ अप्राप्य (वे जमाकर्ता जिनके दावों को मंजूरी दे दी गयी थी, परंतु वे वितरित नहीं किए गए और डीआईसीजीसी को वापस कर दिए गए) चिह्नित किए गए बीमाकृत जमाकर्ताओं के दावों के लिए डीआईसीजीसी द्वारा प्रावधान किया गया है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार और ऐसे बैंकों के परिसमापकों (31 दिसंबर 2014 से पहले परिसमाप्त) को अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे ऐसे जमाकर्ताओं से संपर्क करें और दावे, यदि कोई हों, तो डीआईसीजीसी को डीआईसीजीसी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तुत करें। इन बैंकों के जमाकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे भुगतान न किए गए दावों के मामले में आधिकारिक रूप से वैध पहचान दस्तावेज/ दस्तावेजों के साथ संबंधित परिसमापकों से संपर्क करें।

बैंकों की सूची इस प्रकार है:

बैंकों की सूची

अप्राप्य (1060100)	
बैंक का नाम	पंजीकरण रद्द करने की तिथि
कर्नाटक	
श्री संपिगे सिद्धेश्वरा अर्बन को-ऑप. बैंक	27.07.2006

महाराष्ट्र	
श्री शिवाजी सहकारी बैंक लिमिटेड	14.06.2014
रविकिरण अर्बन को-ऑप. बैंक लि.	27.11.1998
समता सहकारी बैंक लिमिटेड	19.03.2010

अज्ञात (1070200)	
बैंक का नाम	पंजीकरण रद्द करने की तिथि
गुजरात	
म्युनिसिपल को-ऑप. बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद	03.02.2014
महाराष्ट्र	
श्री शिवाजी सहकारी बैंक लिमिटेड	14.06.2014
मर्चेण्ट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	30.08.2014
समता सहकारी बैंक लिमिटेड	19.03.2010
उड़ीसा	
अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, भुवनेश्वर	17.02.2014
तेलंगाना	
वासवी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड	14.07.2014
उत्तर प्रदेश	
मिर्जापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	12.09.2014

Submission of Depositor Insurance Claims of Depositors Marked as Untraceable/ Unidentifiable by Liquidators

The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) settles claims submitted by liquidators in terms of provisions in Sections 16 and 17 of DICGC Act, 1961. The claims of insured depositors who were unidentifiable (depositors who were not paid due to non-availability of KYC documents at the time of sanction of main claim) /untraceable (depositors whose claims were sanctioned but remain undisbursed and refunded to DICGC) by liquidators is provided for by DICGC. Instructions have been issued to Registrar of Co-operative Societies and the liquidators of such banks (liquidated before December 31, 2014) to contact such depositors and submit the claims if any, to DICGC as per DICGC guidelines. Depositors of these banks are advised to approach the respective liquidators with officially valid document/s of identity in case of unpaid claims. The list of banks is as under:

List of Banks

Untraceable (1060100)	
Name of Bank	Date of De-registration
Karnataka	
SRI SAMPIGE SIDDESWARA URBAN CO-OP BANK	27.07.2006
Maharashtra	
SHRI SHIVAJI SAHAKARI BANK LTD	14.06.2014
RAVIKIRAN URBAN CO-OP. BANK LTD.	27.11.1998
SAMATA SAHAKARI BANK LTD.	19.03.2010
Unidentifiable (1070200)	
Name of Bank	Date of De-registration
Gujarat	
MUNICIPAL CO-OP. BANK LTD., AHMEDABAD	03.02.2014

Maharashtra	
SHRI SHIVAJI SAHAKARI BANK LTD	14.06.2014
MERCHANTS CO-OPERATIVE BANK LTD.	30.08.2014
SAMATA SAHAKARI BANK LTD.	19.03.2010
Odisha	
URBAN CO-OPERATIVE BANK LTD., BHUBANESWAR	17.02.2014
Telangana	
VASAVI CO-OPERATIVE URBAN BANK LTD.	14.07.2014
Uttar Pradesh	
THE MIRZAPUR URBAN CO-OPERATIVE BANK LTD.	12.09.2014

(पवनजीत कौर ऋषि)
उप महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/17